माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियन क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल-462011

दूरभाष - 0755-2551642, 4294933, **फेक्स** 2551641

क्रमांक 003/नामांकन/2016 **दिनांक 29 जनवरी 2016**

अधिसूचना

सत्र जनवरी 2016 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्र पंजीयन/नामांकन

सत्र जनवरी-2016 में विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के पंजीयन/नामांकन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन भरे जावेंगे। प्रवेशार्थियों के पंजीयन/नामांकन के संबंध में निम्नलिखित नियम/दिशा-निर्देश निर्धारित एवं अधिसूचित किए जाते हैं।

1) विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले सभी प्रवेशार्थियों के पंजीयन/नामांकन फार्म संस्थाओं द्वारा एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से ही भरे जाएंगे। पंजीयन/नामांकन शुल्क भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2) छात्र पंजीयन/नामांकन फार्म एवं प्रवेशार्थी पंजीयन/नामांकन शुल्क एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **29.02.2016** है। ऑनलाइन फार्म दिनांक 29.02.2016 को सायं 05.30 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे। छात्र पंजीयन/नामांकन शुल्क अधिसूचना क्रमांक 718/नामांकन/2013 दिनांक 12.09.2013 के अनुसार रुपए 1250/- (एक हजार दो सौ पचास) प्रति विद्यार्थी देय है।

3) जिन प्रवेशार्थियों के पंजीयन/नामांकन फार्म ऑनलाइन नहीं भरे जावेंगे अथवा निर्धारित शुल्क भुगतान नहीं होगा, उनका पंजीयन/नामांकन स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा करने की प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Applicaion No., Transaction ID एवं Bar Code जनरेट हुआ है) पंजीयन /नामांकन फार्म ही जमा माने जाएंगे।

4) प्रत्येक ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म के साथ पोर्टल शुल्क रुपये 16/- (सोलह रुपये) की राशि एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड को देय है। पोर्टल शुल्क अध्ययन संस्थाओं द्वारा ही वहन किया जावेगा, इसे विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा।

5) अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दें। जो संस्थाएँ नो एड्मीशन केटेगरी (No Admission Category) में सूचित की गई है, उनसे पंजीयन/नामांकन फार्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

6) प्रवेश के समय विद्यार्थी का अर्हता/पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पंजीयन/नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत अर्हता परीक्षा की अंकसूची में छपी तिथि के आधार पर ही प्रवेश मान्य/अमान्य किया जावेगा। अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि संबंधित कोर्स में प्रवेश देने से पूर्व विद्यार्थियों की उसके लिए निर्धारित अर्हता/पात्रता सुनिश्चित कर लें। पात्र विद्यार्थियों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली-भाँति जांच करने के उपरांत ही प्रवेश दें, तथा सत्य जानकारी ही नामांकन फार्म में भरना सुनिश्चित करें।

7) ऑनलाइन फार्म में प्रवेशार्थियों की प्राथमिक मूल सूचनाएं (जैसे नाम, पिता-माता का नाम एवं जन्मतिथि) हाईस्कूल अथवा हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्धति) उत्तीर्ण अंकसूची में मुद्रित डेटा/सूचनाओं के अनुसार ही मान्य होंगी, अतः इन सूचनाओं को इसी अनुसार ही भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।

8) ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार के तकनीकी कारण, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड मे टॉप-अप संबंधी कारण अथवा अन्य कारण से हुए विलम्ब के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी, ऐसी स्थिति में यदि ऑनलाइन

आवेदन फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या हो तो कृपया एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक **0755-4019400** पर संपर्क करें।

9) ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म भरे एवं शुल्क भुगतान किए गए फार्म का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुसार अंतिम तिथि **05.03.2016** तक जमा कराना अनिवार्य है।

(a) पंजीयन/नामांकन फार्म में वांछित सभी प्रविष्ठियां सत्य एवं सही भरी जावें, कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ा जावे। प्रवेशार्थी का नवीनतम फोटो एवं उसके हस्ताक्षर ऑनलाइन फार्म में निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड किए जावें।

(b) ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व सभी प्रविष्ठियां एवं लोड किए गए फोटो की जांच कर त्रुटियों का सुधार कर लिया जावे। इसके उपरांत ही ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा (Submit) किया जावे।

(c) ऑनलाइन फार्म के साथ प्रवेशार्थी का उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता/पात्रता प्रमाण पत्र अथवा अंकसूची की स्कैन प्रति को अपलोड किया जाए, यह अनिवार्य है।

(d) ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा हो जाने के पश्चात् प्रत्येक पंजीयन/नामांकन फार्म के रिपोर्ट सेक्शन से प्रिन्टआउट (हार्डकॉपी) निकाला जाए, उस पर संबंधित छात्र का फोटो लगाकर छात्र से जांच एवं सत्यापित कराते हुए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित कराया जाए।

(e) छात्र द्वारा हस्ताक्षरित फार्म को संस्था प्रभारी द्वारा जांचा जाए, इसके उपरांत संस्था प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगाकर सत्यापित/प्रमाणित किया जाए।

(f) इस फार्म के साथ संबंधित विद्यार्थी के सभी आवश्यक एवं अर्हता/पात्रता दस्तावेजों (माइग्रेशन, अंकसूची, प्रमाण पत्र आदि), को छात्र एवं संस्था द्वारा सत्यापित/प्रमाणित करते हुए संलग्न किए जाएं। विद्यार्थियों के आवश्यक अर्हता/पात्रता संबंधी एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ठ (Annexure)-A के अनुसार सुनिश्चित होना आवश्यक है।

(g) प्रत्येक पाठ्यक्रम के सभी फार्म एक साथ एक सेट में तैयार किए जाएं। फार्म का प्रत्येक सेट संस्था के कवरिंग लैटर के साथ संलग्न करें, प्रत्येक सेट में विद्यार्थियों की सूची उनके आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) के अनुक्रम में ही तैयार की जाए। दूसरे पाठ्यक्रम के लिए अलग सेट बनाएं। प्रत्येक पाठ्यक्रम का लिफाफा अलग-अलग हो और लिफाफे पर संबद्ध पाठ्यक्रम का नाम स्पष्ट अंकित हो।

(h) संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन भरे गए नामांकन फार्म "सहायक कुलसचिव (नामांकन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल-462011" के नाम से भेजें। लिफाफे पर 'नामांकन फार्म व पाठ्यक्रम का नाम' अवश्य अंकित करें।

(i) उपरोक्त बिंदू क्रमांक **9(a)** से **9(h)** के अनुसार तैयार नामांकन/पंजीयन फार्म को नियत तिथि 05.03.2016 तक स्वयं अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा विश्वविद्यालय पहुंचाने का दायित्व संस्था का है, नियमानुसार फार्म प्राप्त न होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

10) प्रवेशार्थी का किसी पाठ्यक्रम में पंजीयन/नामांकन फार्म ऑनलाइन जमा होने/भुगतान होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पंजीयन/नामांकन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात पंजीयन/नामांकन शुल्क वापस/समायोजित नहीं होगा।

11) यदि नियमानुसार पंजीयन/नामांकन फार्म प्राप्त नहीं होता है, अपूर्ण प्राप्त होता है, विद्यार्थी अपात्र पाया जाता है अथवा नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो संबंधित छात्र को प्रथम सेमेस्टर (लेटरल एंट्री हेतु तृतीय सेमेस्टर) परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जावेगी। नामांकन आपत्ति वाले विद्यार्थियों का

पंजीयन/नामांकन निरस्त करने का/ प्रथम सेमेस्टर प्रवेश पत्र रोकने का/परीक्षा परिणाम रोकने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

12) जिन विद्यार्थियों के पंजीयन/नामांकन फार्म बिंदू क्र. 9) के अनुसार प्राप्त होंगे उन्ही विद्यार्थियों के नामांकन क्रमांक जारी किये जाएँगे। ऐसे विद्यार्थियों को ही प्रथम सेमेस्टर (लेटरल एंट्री हेतु तृतीय सेमेस्टर) परीक्षा फार्म भरने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में जिन विद्यार्थियों के नामांकन क्रमांक सृजित (Generate) नहीं हुए हैं, उन्हें परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं होगी।

13) विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10+2 कक्षा परीक्षा परिणाम डाटा से नामांकन की ई-चैकिंग कराई जाती है। जिन पाठ्यक्रम में 10+2 पात्रता निर्धारित है एवं ई-चैकिंग के माध्यम से परीक्षा परिणाम की पुष्टि नहीं होती है उन्हें ऑनलाइन नामांकन फार्म के साथ पात्रता अंकसूची ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। जिन पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पात्रता निर्धारित है उन्हें भी ऑनलाइन नामांकन फार्म के साथ पात्रता अंकसूची ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है।

14) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय रेग्यूलेशन क्रमांक 18(2008) का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ति के परीक्षण/पुष्टि का पूर्ण दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी का होगा।

15) राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/AIU/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जावेगा। 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा। यदि छात्र ने पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तब ही न्यूनतम योग्यता मानकर ऐसे छात्र को प्रवेश दिया जा सकेगा।

16) विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा/उपाधि की समकक्षता, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हताधारी परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने का दायित्व एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं सम्बंधित छात्र का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा प्रवेश प्रदान करने/ न करने के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

17) यदि किसी छात्र के अध्ययन में कोई अंतराल (Gap) है, तो संबंधित अवधि को स्पष्ट करने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) की नोटरी द्वारा सत्यापित मूल प्रति, पंजीयन/नामांकन फार्म के प्रिंट आउट के साथ संलग्न करें।

18) विवाहोपरान्त सरनेम परिवर्तन की दशा में रुपए 100/- (एक सौ रुपए मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करें

19) स्नातक (Graduate) एवं स्नातकोत्तर (Post Graguate) पाठ्यक्रमों के लिए स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC) की सत्यापित छायाप्रति एवं विश्वविद्यालय/बोर्ड के माइग्रेशन (Migration) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न की जाए। पात्रता संबंधी दस्तावेज/अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे। कृपया संलग्नक (Annexure)-A देखें। उपाधि (Diploma) पाठ्यक्रमों के लिये पात्रता संबंधी दस्तावेज/अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावे। कृपया संलग्नक (Annexure)-A देखें।

20) जिन विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा मुक्त (Open) बोर्ड/विश्वविद्यालय से अथवा स्वाध्यायी (Privet) छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है, ऐसे विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) जमा करना अनिवार्य नहीं है। अध्ययन संस्थाएं ऐसे विद्यार्थियों की सूची पृथक पत्र द्वारा नामांकन शाखा में उपलब्ध करावें।

21) विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त किये बिना अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावे। अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध नियम रेगुलेशन क्र. 19 (Regulation No.19) देखें एवं इसका पालन सुनिश्चित करें।

22) जिन सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं से समस्त नामांकित/पंजीकृत विद्यार्थियों के पंजीयन/नामांकन फार्म बिंदू क्रमांक 9) के अनुसार नामांकन शाखा में अंतिम तिथि **05.03.2016** तक प्राप्त नहीं होते हैं उन संस्थाओं पर दण्डात्मक कार्यवाही "सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग" द्वारा की जावेगी।

Deepak

23) किसी भी विद्यार्थी के पात्रता दस्तावेजों में संदेह की स्थिति में नामांकन विभाग को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सम्बद्ध अध्ययन संस्था से विद्यार्थी के मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

24) विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीयन/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि में छूट प्रदान नही होगी, अत: अध्ययन संस्थाएं इसके लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करे। एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल पर यह प्रक्रिया शुरू होते ही ऑनलाइन फार्म भरना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने पर किसी भी असुविधा से बचा जा सकता है।

25) पंजीयन/नामांकन फार्म में अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाने अथवा इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में विश्वविद्यालय अध्ययन संस्था/विद्यार्थी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है तथा इस हेतु संस्था/विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

26) पंजीयन/नामांकन फार्म में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों के सुधार के नियम अधिसूचना क्रमांक नामांकन/2013/ 531 दिनांक 14.6.2013 के द्वारा अधिसूचित किये गये हैं। पंजीयन/नामांकन होने के उपरांत यदि छात्र या माता-पिता के नाम, सरनेम, जन्मतिथि, हस्ताक्षर अथवा फोटो में कोई त्रुटि हो तो अध्ययन संस्थाएं त्रुटि सुधार हेतु अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर त्रुटि सुधार करवा सकती हैं। परंतु चाहा गया त्रुटि सुधार इस अधिसूचना के बिंदू क्रमांक 8) का खंडन नहीं करता हो।

27) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देश एवं सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध/प्रकाशित करायी जाती हैं। अत: सभी अध्ययन संस्थाओं से इस वेबसाइट का नियमित अवलोकन करने की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करायी (प्रकाशित) की जाती हैं, जिसे औपचारिक रुप से घोषित माना जाएगा, जिसका पालन अध्ययन संस्थाओं से अपेक्षित होगा। ये निर्देश एवं सूचनाएं (अथवा इनकी प्रति) अध्ययन संस्थाओं को डाक द्वारा भेजने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

28) नामांकन सम्बन्धी सहायता के लिए सहायक कुलसचिव (नामांकन) के दूरभाष क्रमांक **0755-4294933** अथवा ई-मेल **mcuenroll@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नः अर्हता/पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ठ Annexure-A)

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक 29 जनवरी 2016

क्रमांक 004/नामांकन/2016

प्रतिलिपि-

1) निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2) परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
3) सहायक कुलसचिव, परीक्षा, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
4) सहायक कुलसचिव, गोपनीय, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
5) प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6) प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7) माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
8) समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.in प ऑनलाइन प्रकाशित)।

(डॉ. राजेश पाठ
परीक्षा नियंत्र

परिशिष्ठ Annexure-"A"

सत्र जनवरी 2016 के लिए कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अर्हता/पात्रता (Eligiblity) एवं पंजीयन/नामांकन अधिसूचना के बिंदू क्र. 9(6) के दस्तावेजों की सूची

संक्र. S.N.	पाठ्यक्रम (Courses)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	वांछित अर्हता/ पात्रता (Required Eligiblity)	प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज (Documents to be submitted)	
				पात्रता अंकसूची एवं टी.सी. की सत्यापित छायाप्रति (Photo copy of attested Marksheet & T.C.)	मूल दस्तावेज (Original Documents)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	M.Sc (IT) Master of Science (Information Technology)	103	B.E (Computer) B.Tech (Computer) /B.I.T/BCA/ B.Sc(IT), BSc(Computer)/ Graduation (Any Discipline) with PGDCA	(1) Marksheet As per Column No.3 (2) T.C.	1. Migration 2.Gap Certificate, if Applicable
2	M.Sc(CS)-(BP) Master of Science (Computer Science)	129	Graduation (Any Discipline)	(1) Marksheet (As per Column No.3) (2) T.C.	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
3	M.Sc (CS)-(LE) (Master of Science-Computer Science-Lateral Entry)	990	Graduation (Any Discipline) with PGDCA	(1) Markseet (As per Column No.3), (2) T.C. (3) Copy of detailed syllabus incase of Universities other than this University	1. Migration 2. Gap Certificate, if Applicable
4	B.C.A (Bachelor of Computer Applications)	14	10+ 2 or equivalent / Three Year Polytechnic Diploma	(1) Marksheet As per Column No.3 (2) T.C.	1.Migration 2.Gap Certificate, if Applicable
5	P.G.D.C.A (Post Graduate Diploma in Computer Applications)	16	Graduation (Any Discipline)	(1) Marksheet As per Column No.3	----
6	D.C.A (Diploma in Computer Applications)	17	10+2 or equivalent/ Three Year Polytechnic Diploma	(1) Marksheet As per Column No.3	----

नोट -

1) 10+2से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 10+2के समकक्ष नहीं माना जावेगा। यदि छात्र ने पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ कम से कम स्नातक उपाधि प्राप्त की है तो न्यूनतम योग्यता मानकर ऐसे छात्र को प्रवेश दिया जा सकेगा।
2) ऐसे छात्र जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं अपना माइग्रेशन (Migration) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, उन्हें माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अध्ययन संस्था अपने पत्र में ऐसे विद्यार्थियों के नाम का स्पष्ट उल्लेख करे जिन्होंने अपना माइग्रेशन (Migration) प्रमाण पत्र इस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं किया है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर पुष्टि की जाकर माइग्रेशन (Migration) की अनिवार्यता में छूट दी जा सके।
3) माइग्रेशन (Migration) की फोटोकापी (रंगीन अथवा श्वेतश्याम) मान्य नहीं है।
4) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) के सम्बंध में अधिसूचना क्रमांक 333/नामांकन/2014 दिनांक 31.1.2014 के अनुसार सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5) स्वाध्यायी (Privet)/ मुक्त (Open) बोर्ड विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) जमा करना अनिवार्य नहीं है।
6) M.Sc. (Comp Science)-Lateral Entry के संबंध में अधिसूचना क्र. 1934 दिनांक 18/9/2012 लागू रहेगी।

(राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक